अति महत्वपूर्ण/अनुपालन/महावीर जयंती
संख्या- 144/9-1-2015-55.../99

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर आयुक्त,उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 01 अप्रैल,2015

विषय- महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, गांधी जयंती, शिवरात्रि महापर्व तथा साधु टी0ए0 के जन्मदिन पर प्रदेश की समस्त नागर स्थानीय निकायों में स्थित पशुवधशालाओं एवं गोश्त की दुकानों को बन्द रखे जाने के सबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि प्रदेश के महापुरूषों एवं अहिंसा के सिद्धांत (Doctrine of Non-Vilence) का प्रतिपादन करने वाले विभिन्न युग पुरूषों के जन्म दिवसों एवं कुछ प्रमुख धार्मिक पर्वो को 'अभय' अथवा 'अहिंसा' दिवस के रूप में मनाये जाने के उद्देश्य से महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, गांधी जयंती, साधु टी0एल0वासवानी एवं शिवरात्रि के महापर्व पर प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों में स्थित पशुवधशालाओं एवं गोश्त की दुकानों को बन्द रखे जाने के निर्देश शास0 सं0 2066/9.1.88-66सा/86,दि0-29 जून 1988,शा0सं0149सी0एम0/9.1.2000-55सा./99,दि0-07.09.2000 तथा शा0 संख्या-287सी0एम0/9.1.13-55सा/99, दि0-18.04.2013 द्वारा निर्गत किए गए हैं।

2. अवगत ही हैं कि जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थकर महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग-तपस्या से ओतप्रोत था। अपने जीवन काल में महावीर जी ने अहिंसा और अपरिग्रह के संदेश जनमानस को दिए।

3. **उपर्युक्त शासनादेशों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुद्ध जयंती, साधु टीए0एल0वासवानी एवं शिवरात्रि के महापर्व की भांति महावीर जयंती (दिनांक-2 अप्रैल 2015) को भी प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों में स्थित पशुवधशालाओं एवं गोश्त की दुकानों को बन्द रखा जाना कृपया सुनिश्चित किया जायें।**

4. **कृपया अपने अधीन समस्त नागर स्थानीय निकायों में उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा भविष्य में भी उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें**

भवदीय,
1/4/2015
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

PG0

संख्या– 144 (1)/9.1.15–55सा/99,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, धमार्थ कार्य, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
5. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग।
6. प्रमुख स्टाप आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश सहित प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी नागर स्थानीय निकायों को निर्देशित करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
8. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
9. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0 एवं न0पं0 उत्तर प्रदेश (द्वारा जिलाधिकारी)।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. गार्ड फाइल/नगर विकास अनु08
12. बेव मास्टर, नगर विकास विभाग को इस निर्देश सहित प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश विभागीय साइट पर अपलोड करने एवं समस्त संबधित को ई–मेल करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(बिहारी लाल काने)
अनु सचिव।

PG0